आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
8/5/24	पत्रावली पेश हुई। नालिश प्रार्थी एवं वाद प्रार्थना पत्र पर बहस की गई वाद, अन्तरिम व्यादेश प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों के दोहराया तथा प्रकथन किया कि प्रार्थनापत्र के पार्श्विक भूमि कादिर अल्पसंख्यक ।।.8 की मजरूआ जोरबारी की भूमि है उक्त भूमि के प्रार्थी का हिस्सा 1/4 एकमत रिवाज के तहत है प्रार्थनापत्र के पार्श्विक भूमि के अधिग्रहण किया डिमार्केशन की बेलान्स उसे तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है अतः अल्पसंख्यक को अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से रोका जाना प्रार्थनापत्र पत्रावली के ध्यानपूर्वक अवलोकन तथा बहस पर मनन किया गया। पक्षकारों के बहस अनुसार रिवाज व मुहावरेदारी का है व प्रकरण के अत्यावश्यक प्रकृति को देखते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा दिया जाना उचित प्रतीत होता है अतः अनावेदकगण ग्राम पंचायत घटकारे तहसील मण्डावरा के खसरा नं. 2031/001 रकबा 0.1000 है०, खसरा नं. 827 रकबा 0.65 है०, खसरा नं. 828 रकबा 0.86 के आगामी तारीख तक मौके पर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली गोपनीय प्रभार पत्रावली हेड रिवाइज 22/5/24 को पेश हो। Ramesh उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)
10/06/2024	पत्रावली प्रार्थी अमर सिंह तथा अनावेदक श्री सुरेश राम पुत्रगण एवं अन्य मिसल तलबी स्वीकार किये जाने पर आज तलब की गई। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते। इसी सत्य पर आदेश करवाना चाहते हैं।	प्रार्थनापत्र को आगे नहीं चलाना चाहता। इसी सत्य पर आदेश करवाना चाहता हूँ।

कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
तथा उभयी स्तर पर नोट-शीट खारिज करवाना चाहते हैं तथा उक्त आशय के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर पत्रावली अभिलेखागार में उभयी स्तर पर नोट-शीट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल मुताबिक रजिस्टर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। Ramesh उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Samore
Date: 2024.06.26 17:37:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner